वेयरहाउस में छापा, 4 हजार 254 क्विंटल गेहूं का मिला स्टॉक

उपार्जन केंद्र की जांच में मिली भारी गड़बड़ियां

समिति प्रबंधक सहित पांच के प्रकरण तैयार.

नवभारत, जबलपुर। सोमवार को पाटन तहसील के सेवा सहकारी समिति लुहारी के गेहूँ खरीदी केन्द्र स्थल अमित स्टोरेज वेयर हाउस की आकस्मिक जाँच की गई। जिसमें भारी गड़बड़ियां सामने आई। जांच के दौरान 4 हजार 254 क्विंटल गेहूँ का अधिक स्टॉक मिला। यह गेहूँ बिना खरीदी किए तथा बिना हैंडलिंग चालान जारी किए भण्डारित किया जाना पाया गया जाँच में उपार्जन केन्द्र पर लेबर व्यय की दर का बैनर एवं पोस्टर लगा नहीं पाया गया। समिति प्रबंधक सहित पाँच के खिलाफ प्रकरण तैयार किया गया।

अनियमित्ताएं पाई गई

यह गेहूँ बिना खरीदी किए तथा बिना हैंडलिंग चालान जारी किए भण्डारित किया जाना पाया गया। जाँच में उपार्जन केन्द्र पर लेबर व्यय की दर का बैनर एवं पोस्टर लगा नहीं पाया गया। इसके अलावा उपार्जन केन्द्र पर नोडल अधिकारी भी उपस्थित नहीं मिले।

इन पर प्रकरण दर्ज

अनियमितताओं के कारण समिति प्रबंधक कृष्ण कुमार गर्ग, कम्प्यूटर आपरेटर यशवंत सिंह, वेयर हाउस मैनेजर अमित अग्रवाल, मार्कफेड के सर्वेयर नब्बू सिंह तथा वेयरहाउस के गोदाम प्रभारी मनोज श्रीवास के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया है। विस्तृत जाँच में अन्य जो भी दोषी पाए जायेंगे उन के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

पोर्टल पर मात्र 2 हजार 489 क्विंटल गेहूं की ही खरीद दर्ज

कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नदीमा शीरी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे द्वारा जॉच के दौरान पाया गया कि ई-उपार्जन पोर्टल पर मात्र 2 हजार 489 क्विंटल गेहूँ की ही खरीद दर्ज है, जबकि गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर 6 हजार 743 क्विंटल गेहूँ भण्डारित पाया गया। इस प्रकार स्टाक में 4 हजार 254 क्विंटल गेहूँ अधिक पाया गया।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में तुलनात्मक चार्ट पेश करने के आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर जिन बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति दी गई है उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिये है। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने उक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये फैसले के बाद देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने को चुनौती दी है। जिनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जबकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं। शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि पुर्नविचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया है कि 8 नवंबर 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप मे बीएड डिग्री धारियों की नियुक्तियां पूर्णरूप से अवैधानिक हैं।

प्रोफेसर की रिपोर्ट आई कोरोनो पॉजिटिव

जबलपुर। लोकसभा चुनाव में लगाई गई एक महिला प्रोफेसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। दरअसल सिविल लाइन निवासी एक 56 वर्षीय महिला प्रोफेसर की चुनाव ड्यूटी लगाई थी। इस बीच उन्होनें निजी पैथोलॉजी से कोविड जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद उन्होनें चुनाव ड्यूटी से नाम वापस लेने जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन दिया था। कोविड रिपोर्ट को निजी पैथालॉजी नहीं बल्कि आरटीपीसीआर टेस्ट को ही पॉजिटिव रिपोर्ट माना जाता है। महिला प्रोफेसर को चुनाव ड्यूटी से तो छूट दे दी गई थी लेकिन उन्हें यह टेस्ट करवाने के लिए सूचना भेजी गई थी। आईसीएमआर निर्देशों के तहत आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही कोविड मामलों में मान्य होने के चलते महिला का पुन: कोविड सैंपल लिया गया थ। जिसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। जिसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों में हड़कंप मच गया है।

निजी पैथालॉजी के बाद हुआ था आरटीपीसी आर टेस्ट

जिस शिशु को बताया मुर्दा उसकी सांसे चलने का वीडियो वायरल

मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप, जांच करने बनेगी कमेटी

जबलपुर। महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले मेडिकल कॉलेज में जीवित नवजात शिशु को मृत घोषित करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि नवजात शिशु का परिजन अंतिम संस्कार करने तिलवारा घाट पहुंचे है जहां बच्चे की सांसे चलते हुए परिजन वीडियो बना रहे है और मेडिकल के जिम्मेदारों को भी कौस रहे है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। जिस पर मेडिकल प्रशासन ने भी एक्शन ले लिया है। साथ ही मामले में जांच कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

यह है मामला

विदित हो कि बरघाट सिवनी निवासी दिलदार उइके द्वारा गर्भवती पत्नी सरिता उइके को प्रसव पीड़ा होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जहां श्रीमति सरिता उइके ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था। चिकित्सक ने नवजात शिशु को मृत बताकर परिजनों को सौंप दिया था। परिजन भी नवजात शिशु का अंतिम संस्कार कराने तिलवारा घाट पहुंच गए थे जहां उन्होंने देखा कि बच्चे की सांसे चल रही थी। सूचना पर मोक्ष संस्था के सदस्य भी पहुंच गए थे और बच्चे की सांसे चलने का वीडियो बना लिया था जिसके बाद पुन: बच्चे को मेडिकल लेकर पहुंचे थे जहां दो घंटे बच्चे को आईसीयू में रखने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था जिसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया।

आखिर कौन है जिम्मेदार

अब मामले में सवाल यह उठ रहा कि आखिर मेडिकल कॉलेज में बरती गई इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है जिसने जीवित नवजात शिशु को मुर्दा घोषित कर दिया। अगर मोक्ष संस्था के आशीष ठाकुर और उनकी टीम सक्रिय नहीं होती तो शायद पूरे मामले को दबा दिया गया होता।

इनका कहना है

पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। गायनी विभाग की अध्यक्ष कविता सिंह को निर्देश दे दिए गए है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई जा रही है जिसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

डॉ. अरविंद शर्मा, अधीक्षक, मेडिकल

गर्जन के साथ कहीं बरसे बदरा तो कहीं सिर्फ अंधड़

नरम-गरम मौसम का मिजाज

जबलपुर। मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है। जिसके चलते मौसम का मिजाज इन दिनों नरम-गरम हो चला है। एक दिन में मौसम अनेक रंग दिखा रहा है। सोमवार को सुबह से सूर्यदेव तमतमायें रहे। दिन चढ़ते ही एक बार फिर मौसम ने करवट ली और फिर काले बादल गहराने लगे इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगी और थोड़ी ही देर में गर्जन के साथ बदरा बरस पड़े। रिमझिम बारिश के बाद एक बार फिर सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए थे। बीच-बीच में बादलों और सूर्यदेव के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। रात में एक बार फिर अंधड़ चली। बदरा भी गरजे। इस दौरान कई जगह रिमझिम बारिश हुई तो कई स्थानों में सिर्फ अंधड़ चली।

यह सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के ऊपर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इससे एक द्रोणिका भी संबद्ध है। दक्षिणी राजस्थान एवं उससे लगे उत्तरी गुजरात पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर उत्तरी ओडिशा तक भी एक द्रोणिका बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक प्रति चक्रवात अभी भी बना हुआ है।

ऐसा रहा तापमान

बदली मौसम की रंगत से तापमान में भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के वक्त आद्रता 60 और शाम को 75 प्रतिशत दर्ज की गई। हवाएं 5 से 6 किमी की रफ्तार से चली।

आज भी आंधी, बारिश के आसार

मौसम विभाग की माने तो सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से आज भी अंधड़ चलने और बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जबलपुर समेत समेत संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।

मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, कई घायल

जबलपुर। मॉडल रोड स्थित चंद्रिका टावर में लगे मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। छत्ता छूते ही मधुमक्खियों के झुंडे ने हमला बोल दिया। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग कपड़े से मुंह छिपाते लोग इधर-उधर भागते नजर आए। इस दौरान

छत्ता तोड़ना पड़ा महंगा, मची भगदड़

मधुमक्खियों के हमले से कई लोग घायल हुए। गनमीत रही कि कोई गंभीर नहीं है। शहद की लालच में कुछ लोगों ने मुधमक्खी के छत्ते को तोड़ने की कोशिश की तो अचानक ही झुंड ने हमला बोल दिया। जिससे लोग इधर-उधर भागने लगे इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों को मधुमक्खी ने काटा है। इस घटनाक्रम से मौके पर भगदड़ कीस्थिति निर्मित हो गई थी। बताया जाता है कि घमापुर से कुछ लोग छत्ते को तोड़ने पहुंचे थे।

नाला-नालियां चोक होने पर अधिकारियों को लगाई फटकार

शिकायत मिलते ही अचानक रजा चौक पहुंची निगमायुक्त

जबलपुर। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने वर्षा पूर्व किए जा रहे जल निकासी के कार्यों का सघन निरीक्षण किया। संभाग क्रमांक 16 के अंतर्गत रजा चौक में नाला-नालियों के चोक होने की शिकायत पर मौके पर पहुंची और स्थिति को देखा। उन्होंने तत्काल ही संभागीय अधिकारी महेन्द्र उईके, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संतोष गौड़ एवं सुपरवाईजर को मौके पर बुलाया और जल्द से जल्द नाला-नालियों की सफाई एवं पानी निकासी कराने के निर्देश दिए। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि वर्षा काल के पूर्व नाले नालियों की सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्य कराए जा रहे हैं।

इसके लिए अलग से टीमों का गठन किया गया है जिन्हें विभिन्न संभागों के अंतर्गत आने वाले बड़े नाले एवं नालियों की सफाई का कार्य सौंपा गया है। निगमायुक्त श्रीमती यादव ने बताया कि नाले-नालियों की उचित सफाई से जल की निकासी सुगमता से होगी एवं नागरिकों को वर्षा काल में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जलप्लावन के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार कार्य कराने की आवश्यकता है एवं इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाले-नालियों की सफाई के कार्य की निगरानी नियमित रूप से होगी एवं इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संतोष गौर एवं हिटलर अर्खेल आदि उपस्थित रहे।

शराब दुकानें रहेगी बंद.

जबलपुर। शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है।

मकान बेचना है

जैनमंदिर के पास कृष्णासिटी (सत्यमहोम्स) कटंगी रोड जबलपुर में 20x50 sq. दो बेडरूम सर्वसुविधायुक्त मकान बेचना है। अपेक्षितमूल्य 38,00,000/- (अड़तीस लाख) इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

मोबा. -8770781377, 8871207521

वेज़ एस्टेट लिमिटेड (परिसमापन में) के सभी वित्तीय लेनदारों को

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31-ए के अनुसार, परिसमापक, विनियम 31 के अंतर्गत तैयार हितधारकों की सूची के आधार पर, परिसमापन प्रारंभ तिथि से साठ दिनों के भीतर, कॉर्पोरेट देनदार के सभी लेनदारों को शामिल करते हुए एक परामर्श समिति का गठन करेगा।

विनियम 31ए के उप-विनियम 3 के अनुसार, परिसमापक प्रत्येक वर्ग के हितधारकों अर्थात् एक वर्ग में वित्तीय लेनदारों, कामगारों, कर्मचारियों, सरकारी विभागों, अन्य परिचालन लेनदारों, शेयरधारकों, भागीदारों को परामर्श समिति में भागीदारी के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

31ए के उप-विनियम 4 के अनुसार, यदि किसी वर्ग के हितधारक अपने प्रतिनिधियों को नामित करने में विफल रहते हैं, तो उप-विनियम (3) के अंतर्गत, ऐसे प्रतिनिधियों को उपस्थित और मतदान करने वाले वर्ग के बहुमत से चुना जाएगा।

उपरोक्त विनियमों के आधार पर, मैं सभी वित्तीय लेनदारों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस नोटिस के 7 दिनों के भीतर परामर्श समिति में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित करें और नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल पता, आदि को नीचे दिए गए पते पर ईमेल द्वारा या नीचे दिए गए पते पर भेजें। 7 दिनों के बाद, यदि मुझे कई नामांकन प्राप्त होते हैं, तो मैं उस व्यक्ति का चयन करूँगा जिसे वित्तीय लेनदारों के वर्ग में सबसे अधिक कुल मतदान हिस्सेदारी वाले सदस्यों द्वारा नामित किया गया है।

आदित्य कुमार टिबरेवाल
(IBBI/IPA-001/IP-P00743/2017-2018/11249)
लिक्विडेटर ऑफ़ वेज़ एस्टेट लिमिटेड
ईमेल: cirp.waysestatesltd@gmail.com
IBBI के साथ लिक्विडेटर का पंजीकृत
पता-2, हेयर स्ट्रीट, पहली मंजिल, निक्को हाउस, कमरा नंबर 29, कोलकाता 700001

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।। लिमिटेड

हाउस नं. - 5/1006, घड़ी चौक के नज़दीक, विजय नगर, जबलपुर, जिला - जबलपुर, म.प्र.-482002

महत्वपूर्ण सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।। लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अंत:-राज्यीय ट्रांसमिशन कार्य की विकासाधीन ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों सहित निम्नलिखित ट्रांसमिशन अवयवों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. निम्नलिखित अवयवों को दिनांक 15/04/2024 को या उसके बाद किसी भी दिन विद्युतीकृत/आवेशित किया जाएगा और इस लाइन से विद्युत प्रवाहित होगी.

यह ट्रांसमिशन लाइन मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित गाँवों, कस्बों और शहरों के बीच से, उनके ऊपर से, उनके आसपास से या उनके बीच से होकर गुजरती है :

(i) मानपुर (बिजौरी) में बिरसिंहपुर-सतना 220 केवी लाइन का एलआईएलओ 220/33 केवी एस/एस

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	उमरिया	बिजौरी, भामरा	मानपुर
2	शहडोल	कौवानीगई, बसोहरा, लखनपुर, मुहडोला, नौगई, जमुनिहा, माधा, कौवासराय	जयसिंहनगर

(ii) सागर-बेगमगंज 220 केवी डीसीडीएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	सागर	सिरौंजा, सिरौंजा, पथरिया, मैनपानी, सुआतल, कनेरा देव, सागर, बाटल गार्डन, बरटुमा, मसनझीरी, अमाई	सागरनगर
2	सागर	लखानी, बीरपुरा, लखानी, सोठिया, हिनोटा, धुवर, बड़ौदा, सलैया, चकेरी, पिपरिया, बरखुआ, बड़बडी, बरखेड़ा, जमुनिया, बडेरा, परगसपुरा, मोचल, तेंदुदबार, परराई, ओनरिया, अगरिया, सुखा, सगोनी, नयाखेड़ा, मिडवासा, बिजोरा, रिचाई, परसिया, जेरा	जैसीनगर
3	सागर	खेजराबाग	सागर
4	रायसेन	भोजपुर, मुरिया चंपत, नयानगर, बंसादेही, तिंगरा सानी, खेरीतालुका चौका, लखनपुर, किरतपुर, भेंस्वई खुर्द, भेंस्वई कलां, बीरपुर, सुनहरा, मरिया निवाड़ी, उचेरा, सलैया, खिरिया नारायणदास, हफसिली, कोलुवा, खेजरा, शाहपुर, बेगमगंज, गमीरिया	बेगमगंज

(iii) बेगमगंज-राहतगढ़ 132 केवी डीसीएसएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	रायसेन	गमीरिया, बेगमगंज, शाहपुर, खिरिया नारायणदास, हफसिली, खेजरा, कोलुवा, मारिया निवाड़ी, सुमेर, देवलापुर, सेमरा, कस्बा चौका, कल्याणपुर, भूरेरू, मंडला, हिनोतिया, खिरिया पारासर	बेगमगंज
2	सागर	मर्दवरा, जैतपुरा, कोलुवा, सगोनी उमरिया, महूना गुजर, मनकी सलैया, हिमोतिया कलां, चंदनहारी, पारासरी कलां, हुरकुटगवां, दाउदपुर, बिच्छपुरी, बरखेरी, मर्दनपुर, गुमरिया, नयाखेड़ा, लालबाग	राहतगढ़
3	सागर	कालीपत्थर, महुवाखेड़ा, महुवाखेड़ा गोदी, सगोनी खुर्द, कोरजा, महगोड, तहराथेरी, सिगर मुंडी, मनशिया, सेमरा कलां, मसूरई, तातरपुर, सेनकुवा राय	जैसीनगर

(iv) बेगमगंज-सिलवानी 132 केवी डीसीएसएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	रायसेन	रानीपुरा, चौका, जुनला, कालोनी, गगनवारा, जमुनिया, उचेहारा जमुनिया, धौलपुर	सिलवानी
2	रायसेन	महगवां, खोरी, टेकापर, कहुला, जिन्नोर, गोरखा, राजपुरा, शोभापुर, पिपलिया अमर सिंह	गैरतगंज
3	रायसेन	करहोला, मरखेड़ा टप्पा, खिरिया नवलसा, महुवाखेड़ा खुर्द, जमुनिया, महुवाखेड़ा कलां, सहका, पिपरियाघाट, ध्वज, सगोनी गुसाई, नेनेबिलास, राहतवास, फतेहपुर, परसोरा, गमीरिया, परसारी, सलैया, उचेरा, खिरिया नारायणदास, हफसिली, शाहपुर, खेजरा, कोलुवा	बेगमगंज

(v) बेगमगंज-ग्यारसपुर 132 केवी डीसीएसएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	वदिशा	सिमरहार, सिमरहार, चक सुवाखेरी, सुवाखेरी, चक सुवाखेरी, मढ़ीपुर, अटारी खेजरा, बिलराई, करैया, दिघोरा, पीपलखेड़ा	गुलाबगंज
2	वदिशा	गुंडई (बंजारिया), सुमेरपुर, बेरखेड़ा, महदों, रहीसनगर, धीरखेड़ा, पिपलिया, बसिया गजर, गंभीरिया, मटियाजमन, तलबेहट, एल्छा, गुन्नोथा, हैदरगढ़ बसोदा, बुरहा बसोदा, परिया, नोरजा, सुमेर, लोहारी, बसिया खुर्द, पचपेरिया, बसिया कलां, उस्मानिया, गोंडीपुरा	ग्यारसपुर
3	रायसेन	खेरपुर, पिपलिया भट, मारिया हसन खान, चंदोरिया, सिलतारा, माला, मानपुर, परसारी, गमीरिया, बेगमगंज, खेजरा, कोलुवा, शाहपुर, हफसिली, खिरिया नारायणदास	बेगमगंज

(vi) बेगमगंज-गैरतगंज 132 केवी डीसीडीएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	रायसेन	बम्होरीघाट, घाना, गेहुनरास, केसली, टेकापरगढ़ी, शाहजपुर, चुरक्का, गैरतगंज, धनगवां, भानपुर, आमगवां, बुरहागंज, परारिया, अनवरिया, चंदोनी, चंदोनी, मोहर, सिमरिया कलां, पापरा, बीनापुर, सुल्तान जहानपुर, एलनपुर, टिहरी, मुरपर	गैरतगंज
2	रायसेन	खानपुर, चांदबार, धनरिया, बसिया, बरखोआ, पलोहा, उमरखोह, ध्वज, सगोनी गुसाई, कटंगी, फतेहपुर, राहतवास, गमीरिया, सलैया, परसारी, बेगमगंज, शाहपुर, खेजरा, कोलुवा, हफसिली, खिरिया नारायणदास	बेगमगंज

(vii) कनाथेर में मेहगांव 220-सोंधा 132 केवी एस/सी लाइन का एलआईएलओ

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	भिंड	कनाथर, धोरखा, सायना, केरोरा	मेहगांव

(viii) हस्तिनापुर-कनाथेर 132 केवी डीसीएसएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	ग्वालियर	भोगीराम का पुरा, डबका, फदलपुर, अरोली, चक महरोली, धनवाई, हस्तिनापुर, बिलासपुर (चक महरोली), किरौली, डंगोरा, सोहनपुरा, चक महाराजपुरा, फुसावली, नारायणपुर, चपरोली, लखनपुरा, मुहम्मदपुर, कृपालपुर, गुंधारा, गुमरा का चक, गुमरा का चक, थापकान का पुरा, मठ का पुरा, जिगिनिया, बैनीपुरा	तानसेन
2	भिंड	उदुतपुरा, राजपुर, गुहिसर, मदनपुरा, बंजारों का पुरा, उझावल, जलालपुरा, बमरोली, अतरसोहा, उपम्मन का पुरा, अंतोआ, मेवाती का पुरा, अंगसोली, देहगांव, महुआरी, केशवपुरा, हिन्नईपुरा, जनकपुरा, इटयाली, झल्लापुरा, नैनोली, भरेरा, घमुरी, केरोली, भामरपुरा, डांगछेकुरी, सिनोर, मुदेना	मउ
3	भिंड	डंडरौआ, परकोली, कनाथर, केरोरा	मेहगांव

(ix) अजयगढ़ 220 केवी एस/एस पर सतना-छतरपुर 220 केवी लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	पन्ना	जैतपुर, सिमरदा, संगुरैया	अजयगढ़

(x) अजयगढ़-पन्ना 132 केवी डीसीडीएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	पन्ना	जैतपुर, किशनापुर, बिमटाहा, गदरपुर, बरियारपुर, भैरहा, भसुड़ा	अजयगढ़
2	पन्ना	पाठा, मथाली, जमुनाही, खरगुवां, बिलखुरा, बिलखुरा, रक्सेहा, लक्ष्मीपुर, कृष्णा कल्याणपुर, सुनहरा, नगर निगम वार्ड नंबर 23 और 25	पन्ना

(xi) अजयगढ़-लवकुशनगर (लौंदी) 132 केवी डीसीएसएस लाइन

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	पन्ना	जैतपुर, सिमरदा, संगुरैया, उदयपुर	अजयगढ़
2	छतरपुर	बंजारी, भवानीपुर, बाचोन, गणपतखोरा, सदकर, ददिया, कितपुरा, मुकुंदपुर, कटिया, बड़ापुर, परसनिया, सिलपतपुरा	चंदला
3	छतरपुर	देवीखेड़ा, बम्हौरी	लवकुशनगर
4	छतरपुर	सुरा खप्त्या गिरधारी	राजनगर

(xii) बीरपुर 132 केवी एस/एस पर सबलगढ़-श्योपुर 132 केवी डीसीडीएस लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ

क्र. सं.	जिला	गांव के नाम	तहसील
1	श्योपुर	रघुनाथपुर, उदोतपुरा, डोंगरपुर, परसथा, धोरी बावड़ी	बीरपुर

ट्रांसमिशन लाइनों को छूने, उनके नीचे निर्माण गतिविधि करने से बचा जाए क्योंकि इससे जीवन और संपत्ति की हानि उठानी पड़ सकती है. उपरोक्त सूचना के बावजूद, एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।। लिमिटेड सर्वसाधारण में से किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए, जिसके परिणामस्वरूप किसी को जीवन और संपत्ति की हानि हो, वह उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा,.

उपरोक्त में से किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर लागू विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है.

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।। लिमिटेड हेतु प्राधिकृत अधिकारी
शशांक शर्मा
निदेशक

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4006914, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57